शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री ओम प्रकाश शर्मा

दिनाक : 03.12.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 157

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सरकार ने सितम्बर 2019 में रेहड़ी पटरी वालों को तहबाजारी का सर्टिफिकेट, लाईसेंस और अन्य सुविधाएं देने का वायदा किया था;	सरकार द्वारा दिल्ली पटरी विकेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विकय विनियमन) अधिनियम 2014 के अन्तर्गत रेहडी पटरी वालों को तहबाजारी के तहत सुविधाएं देने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है जिसके अन्तर्गत विभिन्न निकायों की 27 नगर विकेय कमेटियों का गठन किया गया है जिसकी अधिसूचना 17.09.2019 को दी गई है । सरकार द्वारा 03 अक्टूवर 2019 को दिल्ली पटरी विकेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विकय विनियमन) स्कीम 2019 लागू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य पटरी विकेताओं के लिए मदद प्रदान करने वाला वातारण उपलब्ध कराना तथा उसे बढावा देना है ताकि वे इन अधिनियम और नियमों के अनुरूप अपनी आजीविका चला सके । उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत पटरी विकेताओं के सर्वेक्षण करवाने को सरकार ने कम्पनियों के पैनल तैयार करने हेतु निविदा जारी कर दी है तथा वित्तिय निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं । इस कार्य को अति शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से सरकार प्रयासरत है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने दिल्ली को वेंडिंग कमेटी एक्ट 2014 लागू करने वाला पहला राज्य बनाने की घोषणा की थी;	उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
ग	सरकार के पास उपरोक्त घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यावहारिक योजना है और इसके कब तक लागू हो जाने की आशा है;	
घ	इस कार्य के लिए किये जाने वाले सर्वे की क्या स्थिति है; और	उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
ड	उपरोक्त सारी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?	

Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02